



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म0प्र0)

ईमेल:- deanratlam@gmail.com

वेबसाइट :- www.gmcratlam.org

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226

पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN - SAVE LIFE

अंगदान करें - जीवन बचाएँ

क्रमांक : 800 / स्था. / जी.एम.सी. / 2026

रतलाम, दिनांक :- 21/01/26

// विज्ञप्ति //

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में सीनियर रेसिडेंट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 01 वर्ष हेतु भरे जाने के लिए दिनांक 27.01.2026 (मंगलवार) वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित प्रारूप में साक्षात्कार के दिन प्रातः 11:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

(सीनियर रेसिडेंट निश्चित वेतन रु. 88,210/- प्रतिमाह)

विभाग	अनारक्षित (UR)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अनुसूचित जाति (SC)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	रिक्त कुल पद
Anatomy	1	-	-	1	-	2
Community Medicine	-	-	-	1	-	1
Physiology	2	-	-	1	-	3
Biochemistry	2	1	-	1	-	4
Pharmacology	-	1	-	1	-	2
Microbiology	1	1	-	1	-	3
Forensic Medicine	-	1	-	1	-	2
Radio-Diagnosis	-	1	-	1	-	2
Medicine	-	-	-	-	1	1
Total :- 20	6	5	-	8	1	20

सीनियर रेसिडेंट पद हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू नोटिस जारी होने के उपरान्त साक्षात्कार दिनांक में किये जायेंगे। आवेदन पत्र साक्षात्कार के दिन प्रातः 11:00 बजे तक डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के कार्यालय में प्राप्त किये जावेंगे, प्रातः 11:00 बजे के पश्चात आवेदन पत्र नहीं लिये जावेंगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

सीनियर रेसिडेंट के पद हेतु ऐसे उम्मीदवार जो ग्रामीण सेवा में बॉण्ड पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार सीनियर रेसिडेंट के पद पर आवेदन करने के लिये पात्र नहीं हैं।

नोट:-

- आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार लागू होगा।
- पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है। महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने पर पद पुरुष वर्ग से भरा जावेगा।
- अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
- चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- साक्षात्कार के एक दिन पूर्व तक आवेदक का पी.जी. का 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर ही आवेदक को साक्षात्कार हेतु पात्र माना जावेगा।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. अवधि : सीनियर रेसिडेंट की सेवा अवधि (Tenure) 01 वर्ष होगी।
2. नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यर्थियों का चयन एन.एम.सी. गाईडलाईन के अनुसार एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./बी.डी.एस./एम.डी.एस परीक्षा के अंको एवं साक्षात्कार उपरान्त किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. शैक्षणिक योग्यता : 1) जिन चिकित्सकों ने एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. परीक्षा विज्ञापन निकलने के दिनांक से 05 वर्ष (पांच वर्ष) के अन्दर पास किया हो वे ही सीनियर रेसिडेंट के पद के लिए पात्र होंगे। उन्हें निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
4. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
5. यात्रा भत्ता : साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
6. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण/कार्यरत चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

अन्य शर्त :-

1. चिकित्सकों को प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिवस अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, इन रेसिडेंट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
8. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों की स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा की उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है, यदि इनके विरुद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरुद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज है तो इन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
9. यदि उम्मीदवार द्वारा ओबीसी पद के लिए आवेदन किया गया है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा नवीन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी हेतु अपात्र माना जावेगा।
10. बाण्डेड अभ्यर्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बाण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है किन्तु मैंने अपनी जोइनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अन्तर्गत बाण्ड के बदले सीनियर रेसिडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

Anita Kulkarni

डॉ. अनिता मूथा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (चिकित्सा)
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा. चिकित्सा महाविद्यालय (म.प्र.)

DEAN & CEO
L.M.S. Medical College
(M.P.)

आवेदन का प्रारूप

.....के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

.....विभाग का नाम

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित
फोटो

1. आवेदक का नाम
 2. पुरुष/महिला
 3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
 4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....ईमेल आईडी.....
 5. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
 6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)
 7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
 8. दिनांक 01/01/2026 को आवेदक की आयुदिन माह वर्ष
 9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
 10. विवाह का दिनांक-
 11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
 12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
- अ. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.-
- ब. एमडी/एमएस/डी.एन.बी./एमसीएच/डीएम/एमडीएस-

13. शैक्षणिक योग्यताएं:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	मार्कशीटों के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	MBBS/BDS First Prof.						
2	MBBS/BDS Second Prof.						
3	MBBS/BDS Final Part I						
4	MBBS/BDS Final Part II						
5	MD/MS/DNB/MDS						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची(स्व प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें) :-

- 1) जन्मतिथि के लिये कक्षा 10वी की अंकसूची
- 2) 12 वी की अंकसूची
- 3) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.प्रथम,द्वितीय,तृतीय,चतुर्थ प्रोफ. अंकसूची
- 4) इन्टर्नशिप सर्टिफिकेट।
- 5) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. डिग्री
- 6) एम.बी.बी.एस. /बी.डी.एस. प्रयास प्रमाण पत्र
- 7) एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस./मेडिकल एम.एस.सी. डिग्री
- 10) एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस./ मेडिकल एम.एस.सी. प्रयास प्रमाण पत्र
- 11) मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.)
- 12) मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस.)
- 13) साक्षात्कार के एक दिन पूर्व तक आवेदक का पी.जी. का 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर ही आवेदक को साक्षात्कार हेतु पात्र माना जावेगा।
- 14) जाति प्रमाण पत्र डिजिटल(केवल आरक्षित श्रेणी के लिये है।)
- 15) यदि उम्मीदवार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग पद के लिए आवेदन किया गया है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा नवीन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी हेतु अपात्र माना जावेगा।
- 16) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (SC,ST,OBC वर्ग) हेतु अनिवार्य है।
- 17) कार्यरत होने पर संबंधित संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य हैं।
- 18) आधार कार्ड।
- 19) जिन अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज संस्था में जमा हो तो उक्त दस्तावेज जमा होने का मूल प्रमाण पत्र संस्था से लाना अनिवार्य हैं।

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर